

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(वाई-54/1994)/अलेसे-II/ 984

दिनांक :- 24/02/2026

आदेश

श्री योगेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (लिंग नं. 8881) पदस्थापन कार्यालय पंचायत समिति रैणी (जिला अलवर) को जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, अलवर के आदेश क्रमांक मनरेगा/संस्था/ कार्यवाही/3014-3021 दिनांक 29.02.2024 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13(1)(क) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया था जिसकी पुष्टि विभागीय कार्यालय आदेश क्रमांक 3220 दिनांक 30.04.2024 के द्वारा की जाकर मुख्यालय कोषालय, दौसा किया गया था।

श्री योगेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो जाने पर राजस्थान सेवा नियम खण्ड प्रथम के नियम 53 (1)(a)(i) के अनुसरण में श्री योगेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की नियमानुसार अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

24/2/2026

(संध्या शर्मा)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(वाई-54/1994)/अलेसे-II/ 984

दिनांक :- 24/02/2026

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, अलवर ।
2. कोषाधिकारी, कोषालय, दौसा ।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया ।
4. श्री योगेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11, (निलम्बित) कार्यालय कोषालय, दौसा ।
5. संयुक्त निदेशक (आई.टी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

Yashika

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)